82

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

बयासीवां प्रतिवेदन

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध
(स्वीकार नहीं किये गये)

09/02/ 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
फरवरी, 2023/ माघ, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना (ii)

प्राक्कथन (iii)

प्रतिवेदन 1-2

परिशिष्ट-एक आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों का सारांश दर्शाने वाला विवरण जिन पर 23 नवंबर, 2022 की बैठक में समिति द्वारा विचार किया गया। 3-5

परिशिष्ट- दो से नौ

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किये गये)

II. 'कंटेनर कारोबार' विषय के संबंध में दिनांक 08.12.2016 का अता.प्र.सं. 3690 6-7

III. 'राष्ट्रीय पोर्ट ग्रिड' विषय के संबंध में दिनांक 05.08.2021 का अता.प्र.सं. 2893 8-9

IV. 'मालाबार वन्यजीव अभयारण्य' विषय के संबंध में दिनांक 18.09.2020 का अता. प्र. सं. 1106 10-12

V. 'आईएमए आभूषण के मामले' विषय के संबंध में दिनांक 15.07.2019 का अता.प्र.सं. 3482 13-14

VI. 'डिजिटल संव्यवहार' विषय के संबंध में दिनांक 08.02.2017 का ता.प्र.सं. 81 (श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) 15-23

VII. 'रेशम कीट पालन की स्थिति' विषय के संबंध में दिनांक 19.07.2019 का ता.प्र.सं. 384 (श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) 24-34

VIII. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की 23 नवंबर, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 35-41

IX. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की 07 फरवरी, 2023 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 42-43

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति* (2022-2023)
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री अशोक महादेवराव नेते
8. श्री संतोष पान्डेय
9. श्री एम.के.राघवन
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
13. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम. सी. गुप्ता - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2022 से किया गया है, देखिए दिनांक 09 नवंबर, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 5363

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 82वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) ने 23 नवंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ 25 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोध वाले ज्ञापन संख्या 02 से 21 पर विचार किया और 06 आश्वासनों पर आगे कार्रवाई जारी रखने का निर्णय लिया ।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) ने 07 फरवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं।

नई दिल्ली;
07 फ़रवरी, 2023
18 माघ, 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

सभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए अथवा विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्री मामले पर विचार करने, कार्रवाई करने अथवा बाद में किसी तिथि को सभा में जानकारी देने का आश्वासन, वचन देते हैं अथवा वायदा करते हैं। किसी आश्वासन को संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन माह की अवधि में कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है। यदि मंत्रालय किसी भी आधार पर आश्वासन को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति से उस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए और ऐसे अनुरोधों पर समिति उनके गुण- अवगुण के आधार पर विचार करती है और आश्वासन छोड़ने अथवा न छोड़ने का निर्णय लेती है।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) ने 23 नवम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में 25 लंबित आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों संबंधी 20 ज्ञापनों (परिशिष्ट-एक) पर विचार किया।

3. मंत्रालयों/विभागों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद समिति निम्नलिखित 06 आश्वासनों को छोड़े जाने के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं है:

क्रम सं	ता.प्र./अ.ता.प्र. सं. व दिनांक	मंत्रालय	विषय
1.	अ.ता.प्र. सं. 3690 दिनांक 08.12.2016	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	कंटेनर कारोबार (परिशिष्ट – दो)
2.	अ.ता.प्र. सं. 2893 दिनांक 05.08.2021	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	राष्ट्रीय पोर्ट ग्रिड (परिशिष्ट – तीन)
3.	अ.ता.प्र. सं. 1106 दिनांक 18.09.2020	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	मालाबार वन्यजीव अभयारण्य (परिशिष्ट – चार)
4.	अ.ता.प्र. सं. 3482 दिनांक 15.07.2019	वित्त (वित्तीय सेवाएं विभाग)	आईएमए आभूषण के मामले (परिशिष्ट – पाँच)

क्रम सं	ता.प्र./अ.ता.प्र. सं. व दिनांक	मंत्रालय	विषय
5.	ता.प्र. सं. 81 दिनांक 08.02.2017 (श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	संचार (दूरसंचार विभाग)	डिजिटल संव्यवहार (परिशिष्ट – छह)
6.	ता.प्र. सं. 384 दिनांक 19.07.2019 (श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	वस्त्र	रेशम कीट पालन की स्थिति (परिशिष्ट – सात)

4. उपर्युक्त 06 आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों तथा उत्तरों से उत्पन्न आश्वासनों का ब्यौरा परिशिष्ट दो से सात में दिया गया है।

5. समिति की 23 नवम्बर, 2022 को हुई बैठक जिसमें आश्वासनों को छोड़ने संबंधी अनुरोधों पर विचार किया गया था, का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट–आठ में दिया गया है ।

6. समिति चाहती है कि सरकार द्वारा परिशिष्ट– आठ के अनुबंध-दो में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों को नोट किया जाए और आश्वासनों को शीघ्र पूरा करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली;
07 फ़रवरी, 2023
18 माघ,1944(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023)

आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों जिन पर 23 नवंबर, 2022 को समिति द्वारा विचार किया गया, का सारांश दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	2	अ.ता.प्र. सं. 806 दिनांक 02.12.2021	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		ऐथनॉल की कीमतें
2	3	अ.ता.प्र. सं. 3690 दिनांक 08.12.2016	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग		कंटेनर कारोबार
3	4	अ.ता.प्र. सं. 2893 दिनांक 05.08.2021	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग		राष्ट्रीय पोर्ट ग्रिड
4	5	अ.ता.प्र. सं. 1985 दिनांक 09.12.2021	सड़क परिवहन और राजमार्ग		केरल में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना
5	6	(i) अ.ता.प्र. सं. 15 दिनांक 18.07.2018 (ii) अ.ता.प्र. सं. 1463 दिनांक 19.12.2018 (iii) अ.ता.प्र. सं. 4054 दिनांक 17.07.2019	विधि और न्याय	विधि कार्य विभाग	(i) एकीकृत विधिक प्रभाग (ii) एकीकृत विधिक प्रभाग (iii) एकीकृत विधिक प्रभाग
6	7	(i) अ.ता.प्र. सं. 2334 दिनांक 13.12.2021 (ii) अ.ता.प्र. सं. 2455 दिनांक 13.12.2021 (iii) अ.ता.प्र. सं. 2475 दिनांक 13.12.2021	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	(i) क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन (ii) क्रिप्टोकरेंसी का प्रभाव (iii) डिजिटल करेंसियों की शिकायतें

क्रम सं	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
7	8	अ.ता.प्र. सं. 1106 दिनांक 18.09.2020	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन		मालाबार वन्यजीव अभयारण्य
8	9	अ.ता.प्र. सं. 5734 दिनांक 06.04.2022	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रोद्योगिकी		डाटा संरक्षण विधेयक में विलंब
9	10	अ.ता.प्र. सं. 3482 दिनांक 15.07.2019	वित्त	वित्तीय सेवाएं विभाग	आईएमए आभूषण के मामले
10	11	अ.ता.प्र. सं. 784 दिनांक 07.02.2022	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	वर्चुअल करेंसी
11	12	अ.ता.प्र. सं. 1084 दिनांक 26.07.2021	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		तेल कारोबार से बाहर निकलना
12	13	अ.ता.प्र. सं. 527 दिनांक 22.07.2021	सड़क परिवहन और राजमार्ग		नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण
13	14	अ.ता.प्र. सं. 2162 दिनांक 15.03.2022	कृषि एवं किसान कल्याण	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	शून्य बजट प्राकृतिक खेती
14	15	अ.ता.प्र. सं. 2180 दिनांक 15.03.2017	विधि और न्याय	विधायी विभाग	मतदाता को घूस देने को संज्ञेय अपराध मानना
15	16	अ.ता.प्र. सं. 3004 दिनांक 16.12.2021	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		जैव ऐथनॉल का उत्पादन
16	17	अ.ता.प्र. सं. 4473 दिनांक 20.03.2020	सूचना और प्रसारण		केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम में संशोधन
17	18	ता.प्र. सं. 81 दिनांक 08.02.2017 (श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	संचार	दूरसंचार विभाग	डिजिटल संव्यवहार

क्र म सं	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
18	19	अ.ता.प्र. सं. 2929 दिनांक 11.03.2020	रेल		समर्पित मालवहन गलियारा
19	20	ता.प्र. सं. 384 दिनांक 19.07.2019 (श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	वस्त्र		रेशम कीट पालन की स्थिति
20	21	(i) ता.प्र. सं.4 दिनांक 19.11.2009 (ii) अ.ता.प्र. सं.1618 दिनांक 13.02.2019	रेल		(i) रेलगाड़ियों में अपराध (ii) चलती रेलगाड़ियों में अपराध

परिशिष्ट - दो

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 3

विषय: विषय 'कंटेनर कारोबार' से संबंधित दिनांक 08.12.2016 के अतारांकित प्रश्न सं. 3690 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

08 दिसम्बर, 2016 को श्रीमती एम. वसन्ती, संसद सदस्य ने कंटेनर कारोबार विषय के संबंध में पोत परिवहन (अब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग) मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 3690 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा पोत परिवहन (अब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग) मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने दिनांक 16.03.2022 के का.ज्ञा. सं. एच-11016/18/2016-पीडी-VI(पीडी-IV) के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "विझिंजम पत्तन के विकास के संबंध में यह बताया गया है कि दिसंबर 2015 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और दिसंबर 2019 में परियोजना पूरी होनी थी। तथापि ब्रेकवाटर के निर्माण में देरी के कारण पत्तन परियोजना के पूरा होने में देरी हो रही है, जिसके कारण अन्य परियोजना कार्यों की प्रगति भी प्रभावित हो रही है। लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग 18 कार्य महीनों (एक वर्ष में 8 कार्य महीने) की आवश्यकता होगी।
>
> तमिलनाडु के एनयम में नए महापत्तन के विकास के संबंध में मछुआरा समूहों और स्थानीय जनता के निरंतर विरोध के कारण कन्याकुमारी जिले में एक वैकल्पिक स्थल की पहचान की गई थी। सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर कन्याकुमारी के पास ट्रांस शिपमेंट हब विकसित करने के लिए 20.02.2021 को रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित किया गया था। चूंकि अब वी.ओ.चिदंबरनार पत्तन को ट्रांस शिपमेंट हब पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है, इसलिए कन्याकुमारी पोर्ट के संबंध में ईओआई को 19.03.2021 को रद्द कर दिया गया था। अतः, आश्वासन को पूरा करना संभव नहीं है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक:18.11.2022
नई दिल्ली:

अ-ब्रि-द्व

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3690जिसका उत्तर

गुरुवार,8 दिसंबर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है

कंटेनर कारोबार

3690. **श्रीमती एम. वसन्ती :**

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की वैश्विक कंटेनर कारोबार में केवल 6 प्रतिशत की हिस्सेदारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं/कार्गो के परिवहन में श्रेणी-वार कितने प्रतिशत कंटेनर का उपयोग किया जाता है; और

(घ) सरकार द्वारा कंटेनर कारोबार में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मंडाविया)

(क) से (घ) यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेंस ऑन ट्रेड एण्ड डेवल्पमेंट (यूएनसीटीएडी) रिपोर्ट से उपलब्ध डाटा के संबंध में वैश्विक कंटेनर व्यापार में भारत के कंटेनर व्यापार का हिस्सा लगभग 2 प्रतिशत है। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में तथा अक्टूबर, 2016 तक के चालू वर्ष के दौरानआइटम/कार्गो के विभिन्न श्रेणियों के पोत परिवहन के लिए प्रतिशत के रूप में कंटेनर उपयोग का कार्गोवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(000 टन में)

माल	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17* अक्टूबर 2016 तक	
	टनेज	% हिस्सा	टनेज	% हिस्सा	टनेज	% हिस्सा	टनेज	% हिस्सा
पीओएल क्रूड + उत्पाद	187254	33.71	188771	32.47	195941	32.31	122038	32.98
लौह अयस्क**	26222	4.72	17909	3.08	15354	2.53	20898	5.65
उर्वरक	13724	2.47	16196	2.79	15898	2.62	9360	2.53
उष्मीय कोयला	71641	12.90	85339	14.68	98603	16.26	56056	15.15
- कोकिंग	32751	5.90	32525	5.59	27352	4.51	28589	7.73
कंटेनर -टनेज	114671	20.64	119443	20.55	123119	20.30	72004	19.46
- टीईयू	7457	-	7960	-	8197	-	4923	-
अन्य विविध	109224	19.66	121161	20.84	130198	21.47	61102	16.51
कुल	555487	100.00	581344	100.00	606465	100.00	370047	100.00

(*) अनंतिम

(**) पेल्लेटस भी शामिल है

बर्थों के निर्माण और आधुनिकीकरण, महापत्तनों पर बड़े आकार के कंटेनर जलयानों को लाने के लिए कंटेनर की संभलाई तथा ड्रैजिंग परियोजनाओं के लिए अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने के माध्यम से पत्तनों की क्षमता को बढ़ाने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए पत्तन आधुनिकीकरण और अवसंरचना परियोजनाओं की सरकार द्वारा नियमित मॉनीटरिंग की जाती है। कंटेनर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार एनायम और विजिंझम पर ट्रांसशिपमेंट पत्तनों के विकास और उनकी स्थापना करने पर विचार कर रही है।

*****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं.4

विषय: विषय 'राष्ट्रीय पोर्ट ग्रिड' से संबंधित दिनांक 05 अगस्त, 2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2893 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

05 अगस्त, 2021 को श्रीमती शारदा अनिल पटेल और प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, संसद सदस्यों ने राष्ट्रीय पोर्ट ग्रिड विषय के संबंध में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 2893 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने दिनांक 19.04.2022 के का.ज्ञा. सं. एच-11016/07/2021-आईपीआरसीएल के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "इस मंत्रालय ने पहले गैर-प्रमुख पत्तन के विकास के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने देश के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप भारत में सभी पत्तनों (प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों) के सतत विकास के लिए पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को निरस्त करके समकालीन, आधुनिक और गतिशील कानून लाने का विचार किया है। अब यह मंत्रालय भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 को निरस्त करने जा रहा है और एक नए भारतीय पत्तन अधिनियम, 2022 पर कार्य कर रहा है। नए भारतीय पत्तन अधिनियम, 2022 पर कैबिनेट नोट को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति की इस पर आगे कोई भूमिका नहीं है। "

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 18.11.2022

नई दिल्ली:

अनुबंध

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2893 जिसका उत्तर

गुरूवार, 5 अगस्त, 2021/14 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय पोर्ट ग्रिड

†2893. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े और लघु पत्तनों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय पत्तन ग्रिड विकसित करने हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव/नीति/योजना/रणनीति/स्कीम बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लाभकारी परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इससे पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रकार के कदम के लिए अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन जरूरी होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): मंत्रालय ने महापत्तनों और गैर-महापत्तनों के बीच तालमेल सृजित करने के लिए वर्ष 1997 में समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) का गठन किया है। यह समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक सलाहकार निकाय है, जो महापत्तनों और गैर- महापत्तनों के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। एमएसडीसी, समुद्री राज्यों में गैर-महापत्तनों, कैप्टिव पत्तनों, निजी पत्तनों के विकास की इस उद्देश्य से निगरानी करती है कि महापत्तनों के साथ उनका एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जा सके तथा सड़कों, रेल, आईडब्ल्यूटी जैसी अन्य अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं संबंधी उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सके तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त सिफ़ारिश प्रदान करती है। महापत्तनों और गैर-महापत्तनों के बीच गतिविधियों में तालमेल बनाए रखने के लिए मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया है। समिति को गैर-प्रचालनरत गैर-महापत्तनों द्वारा उनको प्रचालनरत पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए अपेक्षित संभावनाओं एवं सहायताओं का विश्लेषण करने का दायित्व सौंपा गया है।

*****

परिशिष्ट-चार

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं 8

विषयः "मालाबार वन्यजीव अभयारण्य" विषय से संबंधित दिनांक 18.09.2020 के अतारांकित प्रश्न सं. 1106 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

18 सितंबर, 2020 को श्री एम. के. राघवन, संसद सदस्य ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से "मालाबार वन्यजीव अभयारण्य" विषय से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 1106 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं ।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने दिनांक 12 सितम्बर, 2022 के का.ज्ञा. एफ.सं. 17-1/2021-डब्ल्यूएल के माध्यम से निम्नवत बताया:-

> "यह सूचित किया जाता है कि 'मालाबार वन्यजीव अभयारण्य' की मसौदा अधिसूचना 31.07.2022 को समाप्त हो गई है और इसलिए उक्त अधिसूचना पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री के अनुमोदन से समिति से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांकः 18/11/2022
नई दिल्ली

अनुबन्ध

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1106

18.09.2020 को उत्तर के लिए

मालाबार वन्यजीव अभयारण्य

1106. श्री एम.के. राघवन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरल ही में जारी आदेशों एवं अधिसूचनाओं के दृष्टिगत, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य, कोझीकोड के आसपास बसे दो लाख से अधिक लोगों के समक्ष आये संकट की जानकारी है;

(ख) सरकार द्वारा इस अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे निवासियों की शिकायतों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मानव बस्तियों हेतु शांति एवं समरसता तथा वन्य पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 05.08.2020 के का.आ. 2634 (अ) के द्वारा केरल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के पारि-संवेदी क्षेत्र (ईएसज़ेड) के संबंध में प्रारूप अधिसूचना जारी की है। मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर के बीच की दूरी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को ईएसज़ेड बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें अधिकांशत: आरक्षित वन और कुटयाडी जल विद्युत परियोजना का क्षेत्र शामिल है तथा शेष में लगभग 10000 की कुल जनसंख्या वाले 13 गांवों के कुछ मानव वास-स्थलों वाला वनेतर क्षेत्र शामिल है तथा इसमें से ज्यादातर भूमि में रबड़ और नारियल जैसे रोपण शामिल हैं जिन्हें ईएसज़ेड क्षेत्र में अनुमति प्राप्त है। इस प्रारूप अधिसूचना को जारी करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रारूप अधिसूचना के संबंध में शिकायतें और टिप्पणियां प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त इन सभी शिकायतों या टिप्पणियां पर विचार करने और इनका अध्ययन करने के उपरांत ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

(ग) मानव वास-स्थलों में शांति और समरसता सुनिश्चित करने तथा वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :

i. पशुओं की दुर्लभ प्रजातियों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने, उनके पर्यावासों में सुधार करने तथा वन्य पशुओं के साथ मानव वास-स्थलों का समरसतापूर्ण अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii. पारि-विकास कार्यकलापों के माध्यम से संरक्षण उपायों में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है, जो वन्यजीवों की सुरक्षा करने में वन विभाग की सहायता करते हैं।

iii. भारत में पाई जाने वाली बाघ, हिम तेंदुआ, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, गंगेय डॉलफिन, डुगोंग, आदि की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार उन्हें उच्च कोटि की सुरक्षा प्रदान की गई है।

iv. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके उपबंधों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराधों को करने के लिए प्रयुक्त किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है।

v. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य पशुओं के अवैध शिकार और उनके अंगों से बने उत्पादों के अवैध व्यापार के बारे में आसूचना एकत्रित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय करता है।

*****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 10

विषयः **"आईएमए आभूषण के मामले" विषय से संबंधित दिनांक 15.07.2019 के अतारांकित प्रश्न सं.** 3482 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

15 जुलाई, 2019 को श्री एस.सी. उदासी संसद सदस्य ने वित्त मंत्री "आईएमए आभूषण के मामले" विषय से संबंधित से अतारांकित प्रश्न सं. 3482 पूछा । प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

3. इस संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने अपने दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के का.ज्ञा. एफ. सं. 3/8/2019-बीओ-II के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है : -

> "एसएफआईओ ने सूचित किया है कि जांच दल से उन्हें प्राप्त सूचना के अनुसार, दस्तावेज/डिजिटल रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से आगे कार्रवाई की जा रही है। उक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर विश्लेषण/जांच की जाएगी। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि आवश्यक जांच प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, मूल संसदीय प्रश्न का उद्देश्य मुख्य रूप से इस बात की पुष्टि करना था कि कोई जांच की जा रही है या नहीं। उक्त प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर हां में दिया गया था। इसका विवरण उत्तर में भी प्रदान किया गया है, साथ ही समय-समय पर लोक सभा सचिवालय को भी प्रदान किया गया है। जैसा कि एसएफआईओ द्वारा ऊपर उल्लेख किया गया है, आगे का विश्लेषण/जांच केवल अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से एसएफआईओ द्वारा उक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर की जाएगी।"

3. इस संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) ने अपने दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के का.ज्ञा. एफ. सं. 3/8/2019-बीओ-II के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है : -

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि उक्त प्रश्न में यथा अपेक्षित कोई और कार्रवाई लंबित नहीं है, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांकः 18/11/2022
नई दिल्ली

अनुबंध

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3482

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

आईएमए आभूषण के मामले

3482. श्री एस.सी. उदासी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में एक ऑडियो क्लिप के जरिए आई मॉनीटरी एडवाइसरी (आईएमए) आभूषण धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूचित किया है कि बेंगलूरू पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत **"आई मॉनीटरी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (आईएमए)"** और संबंधित संस्थाओं के विरूध मामला दर्ज किया है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य के महानिदेशक का कार्यालय (डीजीओसीए) ने सूचित किया है कि कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी), बैंगलोर ने आरओसी के साथ पंजीकृत लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशीप (एलएलपी) नामत: आईएमएआईपी बुलियन एंड ट्रेडिंग एलएलपी, के विरूद्ध उपरोक्त एलएलपी में भागीदार के रूप में उन्हें शामिल करके बड़े पैमाने पर जनता से राशि संग्रह करने की शिकायत प्राप्त की है।

(ग) और (घ): आरओसी, बैंगलोर के रिपोर्ट के आधार पर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने आईएमएआईपी बुलियन एंड ट्रेडिंग एलएलपी के विरूद्ध जांच का आदेश दिया है।

कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मामला दर्ज किया गया है और पूर्वोक्त मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

*****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 18

विषय: "डिजिटल संव्यवहार" से संबंधित दिनांक 08 फरवरी 2017 को श्री निनोंग एरिंग, संसद सदस्य द्वारा पुछे गए तारांकित प्रश्न सं. 81 के अनुपूरक के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

****

दिनांक 08 फरवरी 2017 को श्री बी. विनोद कुमार एवं श्री सुमन बलका, संसद सदस्यों ने योजना मंत्री से तारांकित प्रश्न सं. 81 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुलग्नक में दिए गए हैं।

2. चर्चा के दौरान श्री निनॉन्ग एरिंग, संसद सदस्य ने निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा: -

"मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से क्रा दादी, अपर सुबनसिरी, अपर सिनांग, अनिनी और अंजॉ जैसे स्थानों पर संचार बहुत मुश्किल काम है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हम संचार व्यवस्था की ही बात करते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी हमें कोई इंटरनेट सुविधा नहीं मिलती है, तो मुझे नहीं पता कि हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से योजनाओं को नीति आयोग में कैसे ले जा रहे हैं। आपने हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लिए किस तरह के प्रावधान कर रखे हैं?"

3. उत्तर में, योजना मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नानुसार बताया: -

"भारत नेट आने वाले दिनों में लगभग अढाई लाख पंचायतों को जोड़ेगा। हालाँकि गाँव अधिक हैं, लगभग साढ़े छह लाख, लेकिन पंचायतें कुल अढाई लाख के आसपास हैं और भारत सरकार ने इन्हें दो चरणों में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है और अरुणाचल प्रदेश को इस परियोजना के तहत प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा।

4. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा योजना मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

5. इस संबंध में संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपने का.ज्ञा. संख्या 30-307/2017-यूएसएफ़ दिनांक 31 जुलाई, 2017 के माध्यम से आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है:-

"19.07.2017 को, कैबिनेट ने भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए एक संशोधित रणनीति को मंजूरी दी। संशोधित रणनीति के अनुसार, देश में शेष सभी ग्राम पंचायतों को चरण-II में जोड़ा जाएगा, जिसे मार्च, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है। चूंकि, भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण में अरुणाचल प्रदेश सहित देश की सभी शेष ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया आश्वासन को छोड़ दिया जाए।

6. मंत्रालय के उपर्युक्त अनुरोध को समिति द्वारा 04 दिसंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार नहीं किया गया था। तदनुसार समिति ने अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय से यह सिफारिश की गई कि वह ठोस प्रयास करके इस मामले को जोरदार तरीके से उठाए और यथाशीघ्र आश्वासन को पूरा करे। समिति ने मंत्रालय को इस मामले में हुई प्रगति से अवगत कराने का भी निर्देश दिया।

7. तथापि, संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 30-307/2017-यूएसओएफ दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से निम्नलिखित आधारों पर आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है:-

"भारत नेट परियोजना को देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) (लगभग 2.5 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। 14.06.2022 तक, 5,78,468 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है और 1,77,148 ग्राम पंचायतों को उत्तरोत्तर सेवा के लिए तैयार किया गया है।

30.06.2021 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश सहित देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति के लिए मंजूरी दी थी। पीपीपी मॉडल के तहत कार्यान्वयन के लिए 20.07.2021 को वैश्विक बोलियां आमंत्रित की गई थीं और 27.01.2022 को खोली गई थीं, हालांकि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। मंत्रिमंडल ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आबाद गांवों को कवर करने के लिए भारतनेट के विस्तार की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। पीपीपी मॉडल की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए एक संशोधित कार्यनीति तैयार की जा रही है।

अरुणाचल प्रदेश में भारतनेट परियोजना के चरण-I के अंतर्गत सभी 79 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। चरण-II के तहत 1079 ग्राम पंचायतों में से 690 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है, जिन्हें सैटेलाइट मीडिया के माध्यम से कवर करने की योजना थी। शेष 638 ग्राम पंचायतों और लगभग 3749 गांवों को पीपीपी मॉडल के तहत कवर करने की योजना है।

चूंकि भारतनेट परियोजना का दायरा सभी आबाद गांवों तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए परियोजना के पूरा होने में अधिक समय लगेगा।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, संचार मंत्रालय ने माननीय राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

नई दिल्ली:

दिनांक: 18/11/2022

अनुबन्ध

भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *81
दिनांक 08 फरवरी, 2017 को उत्तर देने के लिए

डिजिटल संव्यवहार

*81. **श्री बी. विनोद कुमार:**
श्री बलका सुमन:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति आयोग की योजना डिजिटल संव्यवहारों के आधार पर राज्यों का रैंक निर्धारित करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आयोग ने राज्यों से उनके डिजिटल संव्यवहार संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या नीति आयोग ने लोगों के साथ-साथ जिला कलेक्टरों/जिला न्यायाधीशों/उपायुक्तों के लिए भी एक नियत प्रोत्साहन देने का वायदा करके डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी सुझाव दिया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय
तथा राज्य मंत्री, शहरी विकास एवं
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

''डिजिटल संव्यवहार'' के संबंध में लोक सभा में 08 फरवरी, 2017 को उत्तर के लिए नियत श्री बी. विनोद कुमार और श्री बलका सुमन के तारांकित प्रश्न सं. 81* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): नीति आयोग द्वारा डिजिटल संव्यवहारों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों का रैंक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। मानदंडों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ): नीति आयोग ने डिजिटल भुगतानों के संबंध में मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की थी जिसने 24 जनवरी, 2017 को माननीय प्रधान मंत्री को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल व्यय पर नकद-वापसी (कैशबैक), डिजिटल साधनों के माध्यम से सरकारी भुगतानों पर छूट, डिजिटल संव्यवहारों के लिए बैंकिंग कोरस्पोंडेंट्स (बीसी) और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन के रूप में उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की सिफारिश की है। डिजिटल भुगतानों के संबंध में मुख्यमंत्रियों की समिति की अंतरिम रिपोर्ट http://niti.gov.in/writereaddata/files/new_initiatives_book.pdf पर देखी जा सकती है।

आम जनता को डिजिटल संव्यवहारों की ओर आकर्षित करने और जनता में पर्याप्त व्यवहारात्मक परिवर्तन को सुसाध्य बनाने के लिए दो प्रमुख योजनाएं - उपभोक्ताओं के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजि-धन व्यापार योजना शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत व्यक्तिगत उपभोग व्यय के लिए डिजिटल भुगतान साधनों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और व्यापारियों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। 25 दिसम्बर, 2016 से 30 जनवरी, 2017 के दौरान, 5,91,145 उपभोक्ताओं और 35,000 व्यापारियों ने आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी), यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और रुपे कार्डों के माध्यम से किए गए डिजिटल भुगतानों के लिए 97.07 करोड़ रु. मूल्य के पुरस्कार जीते हैं।

डिजिटल संव्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया था कि 5 करोड़ जन धन खातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संबंधी कार्यकलाप आरंभ करने हेतु जिलों को 50 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। निधियों का आबंटन सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के जन धन खातों के अनुपात पर आधारित है। इस स्कीम के तहत, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए 10/- रु. की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जिसने डिजिटल भुगतान विधि को अपनाया है और पांच डिजिटल भुगतान विधियों अर्थात् यूपीआई, रुपे/डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्डों, एईपीएस, यूएसएसडी और ई-वालेट में से किसी के माध्यम से कम-से-कम दो सफल संव्यवहार किए हैं। अभी तक पहली किस्त के रूप में 460 जिलों को 13.32 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

(Q. 81)

SHRI NINONG ERING : Madam Speaker, I am very grateful to you that you have given me an opportunity to ask a question on digital transactions.

I would like to, through you, tell the hon. Minister that communication in Arunachal Pradesh especially in places like Kra Daadi, Upper Subansiri, Upper Siang, Anini and Anjaw is a very difficult thing. When we speak about Digital India, when we speak about the communication system itself, when we do not get any internet facility even in Itanagar, the Capital of Arunachal Pradesh, I do not know how we are going to take up the schemes in the NITI Aayog through Digital India. What kind of provisions have you kept for our State Arunachal Pradesh and also the other parts of the North-East?

श्री राव इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदया जी, मेंबर साहब ने एक बड़ा दुरुस्त सवाल किया है कि कई जगहें ऐसी हैं, जहां पर इंटरनेट कनेक्शन पूरे तौर पर उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार इस बात से अवगत है कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाइना के साथ लगे हुए या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों, उनके अंदर ज्यादा जल्दी काम करवाने की आवश्यकता है, ताकि सभी को इंटरनेट उपलब्ध हो, टेलीफोन फैसेलिटी उपलब्ध हो पाए। आज के दिन कुल मिलाकर जहां 2जी का मसला है। वहां 97 परसैन्ट कवरेज है, जहां 3जी का मसला है, वहां 63 परसैन्ट कवरेज है और जहां 4जी का मसला है, वहां 30 फीसदी पॉप्युलेशन कवर्ड होती है, यह नेशनल एवरेज है, अरुणाचल के लिए शायद यह कम हो, लेकिन हम पूरी तरह से इस बात से अवगत हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इस सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए, ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए भारत सरकार की योजना है। भारत नेट, जो कुल मिलाकर ढाई लाख पंचायतें हमारे देश के अंदर हैं, उनको आने वाले समय में कनेक्ट करेगा। गाँव तो ज्यादा है; साढ़े छः लाख के करीब हैं, लेकिन पंचायतें कुल मिलाकर ढाई लाख हैं और भारत सरकार ने इसको दो फेस के अंदर कनेक्ट करने के लिए सोचा है और सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को इसमें प्रायॉरिटी के तौर पर लिया जाएगा।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार तथा खासकर हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने विमुद्रीकरण करके कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उसके साथ-साथ लोगों को नेट बैंकिंग के लिए भी प्रोत्साहित किया है। मैं विशेष रूप से इसलिए आभारी हूं कि सरकार ने भीम एप को लांच किया है, जिसकी वजह से बाबासाहेब

अम्बेडकर, जो एक बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके नाम पर यह एप होगा और उसमें डिजिटल थम्ब इम्प्रैशन लगाकर ट्रांजैक्शन होगा। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के आने की वजह से गांवों के देहाती लोग, गरीब लोग, किसान और दलित आदि लोगों को बहुत फायदा मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि भीम एप को इम्पलिमैन्ट करने में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके दायरे में लाने के लिए हम कितने समय में कितने लोगों को इनक्लूड कर सकेंगे?

राव इंद्रजीत सिंह : मैडम, भीम एप एक ऐसी एप्लिकेशन है, जो अनेक बैंकों को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास कर रही है। जब डिजिटाइजेशन भारत सरकार की तरफ से छेड़ा गया तो उस समय अलग-अलग बैंकों ने अपनी अलग-अलग एप्लिकेशन लगा दी थीं, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को असुविधा होती थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से नीति आयोग ने एक ऐसी एप्लिकेशन निकाली, जो सबको एक ही छतरी के नीचे ला देती है और भीम एप्लिकेशन अभी थोड़े दिन पहले ही लागू हुई है। करीब 361 करोड़ रुपये की खरीद-फरोख्त लोगों ने इस एप्लिकेशन के माध्यम से की है। आने वाले समय में मुख्य धारा में आने के उपरांत यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा पायेगी। आज के दिन केवल तीन फीसदी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो पा रहे हैं। विश्व में कुछ मुल्क ऐसे हैं, खास तौर पर स्केन्डेनेवियन कंट्रीज में यह 90 फीसदी तक पहुंच गया है। भीम एप्लिकेशन के माध्यम से और दो-चार इंटरफेस वर्टिकल्स हैं, उनके माध्यम से जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे, मैं समझता हूं कि यदि वे 20-22 परसैन्ट भी हो जाएं तो इसका काफी ज्यादा फायदा जनता को होगा और काफी ज्यादा काला धन जो कैश के रूप में इस्तेमाल होकर खजानों में भरा जाता था, उसमें भी कटौती होगी। मैं समझता हूं कि भारत के लिए डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा फायदा करने वाली मुहिम है।

SHRI M.B. RAJESH : Madam Speaker, through you I would like to seek a reply from the hon. Minister regarding a serious issue related to the security of digital transactions.

Madam Speaker, recently about 32 lakh credit and debit cards were blocked by the State Bank of India, ICICI, HDFC and Axis Bank. Further, personal details including those related to AADHAAR and PAN cards of 70,000 lakh people appeared in the social media. All this goes to show the serious lapses existing in cyber security. Further, we do not have a regulator and we do not have a grievance redressal mechanism in this sphere. A lot of people including some of our

colleague MPs and top bureaucrats lost their money in this process. ... (*Interruptions*) Not including me but many of my colleagues lost money. Even money was withdrawn from abroad.

Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister what measures are already taken by the Government and in this serious scenario what new measures the Government proposes or intends to implement in order to ensure security of digital transactions.

RAO INDERJIT SINGH: Madam, I empathise with the hon. Member regarding digital security. There is no system which is 101 per cent foolproof. But India is a software rich country.

Our professionals have gone even outside the country and made a name for themselves in America and Europe. So, whatever lacuna is there in the digital cyber security will be filled by Indians within India. The Information Technology Ministry is quite aware of the concerns that have been expressed by the hon. Member. I can only assure him that they are looking into it and all the loopholes that are there in the cyber security at present and which are likely to occur in future will be addressed by the Information Technology Ministry itself. Some measures have already been taken, like encryption of cards and Aadhar-enabled payment system which has retina and thumb impression with which you can withdraw money. Security features have already been incorporated in all these four verticals but still if there are some verticals which have not been able to perform as per expectations, those loopholes have to be plugged and the Information Technology Ministry is in the process of doing so.

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज तीन दिन हो गए हैं, इस सदन के अंदर हम डिजिटाइज़ेशन की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर कल जब हमने डीमॉनिटाइज़ेशन के ऊपर बिल पारित किया, हर जगह डिजिटल ट्रांस्ज़ैक्शंस की बात हुई थी। इस देश ने देखा कि दिवाली से पहले लगभग 20 लाख से ऊपर डेबिट कार्ड हैक हुए थे। जब हम ऑनलाइन ट्रांस्ज़ैक्शंस की बात करते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मंत्री जी बता रहे

थे कि ऑप्टिक फाइबर देश के कोने-कोने तक बिछाई गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो ऑप्टिक फाइबर बिछाई गई है, कब तक सरकार उनको पूरी तरह ऑनलाइन कर के उन पर डिवाइसिस लगा कर लोगों को पॉइंट ज़ीरो तक सुविधा देने का काम करेगी और क्या कदम डिज़िटल सिक्योरिटी के लिए, खास तौर से ऑन लाइन ट्रांस्ज़ैक्शंस के लिए उठाएगी, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांस्ज़ैक्शंस को ऑनलाइन कर रहे हैं। उसके लिए सरकार क्या कोई स्पेशल थेफ्ट प्रोटेक्शन नैटवर्क तैयार करेगी, जिसके माध्यम से जो कमेरा आदमी है, उसका पैसा ऑनलाइन ट्रांस्ज़ैक्शन के तहत सुरक्षित रहे? क्योंकि आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि there has been a failure rate of 56 per cent in digital transaction and most of the Banks are not ready to accept it. क्या भारत सरकार आने वाले समय में डिजिटल ट्रांस्ज़ैक्शंस की प्रोटेक्शन के लिए कोई नया सिस्टम तैयार करने जा रही है?

राव इंद्रजीत सिंह : महोदया, मैं पहले ही इस विषय पर ज़वाब दे चुका हूँ कि आईटी मंत्रालय ने खास तौर पर इसके अंदर जो विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से सभी लूपहोल्स को प्लग करने का प्रयास आज के दिन जारी किया हुआ है। जहां-जहां पर कोई खामियां नज़र आती हैं, उनको पूरा करने का पूरे तौर पर प्रयास किया जाएगा। प्राइवेट एंटरप्राइज़िस से भी सलाह ली जाती है और हमारे सरकारी सैक्टर में भी जो काम कर रहे हैं, उनसे भी सलाह ली जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉफ्टवेयर इनेबल्ड देश है, मैं समझता हूँ कि जो खामियां, माननीय सदस्य ने दर्शायी हैं, आने वाले समय के अंदर उनको पूरा कर दिया जाएगा।

HON. SPEAKER: Shri T. Radhakrishnan. Not present

Shri S.R. Vijayakumar. Not present

Now, the hon. Minister.

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 20

विषय: विषय 'रेशम कीट पालन की स्थिति' से संबंधित दिनांक 19.07.2019 के तारांकित प्रश्न सं. 384 (श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

19 जुलाई 2019 को श्री नारणभाई काछड़िया और श्री परबतभाई सवाभाई पटेल, संसद सदस्यों ने वस्त्र मंत्री से तारांकित प्रश्न सं. 384 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. चर्चा के दौरान श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य ने वस्त्र मंत्री से निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा:-

"मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि या तो हमारे गुजरात में पर्यावरण अनुकूल न होने के कारण रेशम का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, या किसानों में रेशम उत्पादन की जानकारी न होने के कारण इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा है, तो क्या सरकार द्वारा गुजरात में रेशम-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है?"

3. माननीय वस्त्र मंत्री ने निमन्वत् उत्तर दिया था:-

"वर्तमान में, नवसारी में एक निष्क्रिय रेशम फार्म है, जिसके पुनरुद्धार की केंद्रीय रेशम बोर्ड कोशिश कर रहा है और गुजरात सरकार के साथ बातचीत कर रहा है।"

4. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा वस्त्र मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

5. इस संबंध में वस्त्र मंत्रालय ने अपने दिनांक 11 जनवरी 2022 तथा 11 अक्तूबर 2021 के का.ज्ञा. सं. एच-11016/07/2019-सिल्क के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"गुजरात में एरी रेशम कीट संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए सीएसबी के हस्तक्षेप के बाद आरईसी-फतेहपुर (यूपी) के एक वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मी को 21 सितंबर, 2021 को हरिपुर गांव (सुबरकांठा जिला) में प्रतिनियुक्त किया गया था। गांव में अनुशंसित पद्धतियों और बेहतर तकनीकों के साथ एरी रेशम कीट पालन के लिए उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में एरी की खेती के लिए अरंडी किसानों को कुल 625 डीएफएल (25 डीएफएल प्रति किसान) प्रदान किए गये हैं। अरंडी किसान सीएसबी कर्मचारियों की देखरेख में एरी रेशम कीट पालन कर रहे हैं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुजरात में ईरी उत्पादन के विकास के लिए अरंडी किसानों को बीज की आपूर्ति तथा रेशम कोकून की बिक्री में तकनीकी सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। विशेष रूप से अरंडी उगाने वाले क्षेत्रों (बानसकांठा और साबरकांठा जिले, गुजरात) में एरी उत्पादन की सफल शुरुआत और विस्तार के लिए संबद्ध राज्य सरकार के कर्मियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। तथापि, किसानों की प्रतिक्रिया और एरी उत्पादन के विस्तार के लिए गुजरात राज्य में एरी उत्पादन हेतु निरंतर तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए नवसारी की पुरानी इकाई (गुजरात) में पहले से उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग की आवश्यकता पड़ सकती है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने वस्त्र राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 18.11.2022

नई दिल्ली:

अनुबन्ध

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *384
19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम कीट पालन की स्थिति

*384. श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में रेशम कीट पालन की स्थिति क्या है;

(ख) विश्व में रेशम उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है; और

(ग) सरकार रेशम कीट पालन व्यवसाय में लगे किसानों को लाभान्वित करने हेतु और अधिक रेशम के उत्पादन और निर्यात को किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 19.07.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *384 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में कच्ची रेशम के कुल उत्पादन में पिछले वर्ष 2017-18 (31,906 मी.ट.) की तुलना में वर्ष 2018-19 (35,261 मी.ट.) के दौरान 10.52% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में उत्पादित कच्ची रेशम के 35,261 मी.ट. के अनतिंम कुल उत्पादन में रेशम की 4 किस्मों में से मलबरी की 71.50% (25,213 मी.ट.), तसर की 8.44% (2,977 मी.ट.), ऐरी की 19.40% (6,839 मी.ट.) और मूगा की 0.66% (232 मी.ट.) हिस्सेदारी है। पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में किस्म-वार कच्ची रेशम का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मीट्रिक टन में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
मलबरी (बाइवोल्टाइन)	5,266	5874	6911
मलबरी (क्रॉस ब्रीड)	16,007	16192	18302
तसर	3,268	2988	2977
ऐरी	5,637	6660	6839
मूगा	170	192	232
कुल	30,348	31906	35261

(ग) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सांविधिक निकाय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) रेशम के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित कर रहा है। रेशम के उत्पादन में लगे किसानों को लाभांवित करने के लिए सीएसबी केन्द्रीय क्षेत्र की एक पुनर्गठित योजना 'सिल्क समग्र' क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे आयातित रेशम पर देश की निर्भरता कम हुई है। इस योजना के अंतर्गत रेशम उत्पादन के हितधारकों को नर्सरी स्थापित करने, मलबरी की उन्नत किस्मों के साथ पौधरोपण, सिंचाई, उद्भवन सुविधा के साथ चॉकी रियरिंग केन्द्र, रियरिंग हाउसों का निर्माण, रियरिंग उपकरण, विसंक्रमण के लिए डोर टू डोर सेवा एजेंट और इनपुट की

आपूर्ति, आटोमेटिक रीलिंग यूनिटों जैसी उन्नत रीलिंग यूनिटों के लिए सहायता, मल्टीएण्ड रीलिंग मशीन, उन्नत टिविस्टिंग मशीन और अच्छी गुणवत्ता वाली रेशम तथा फैब्रिक के उत्पादन के लिए यार्न पश्च सुविधाओं के लिए सहायता जैसे लाभार्थी उन्मुख संघटकों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) के अंतर्गत तीन विस्तृत श्रेणियों अर्थात एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी) और गहन बाईवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी) तथा महत्वाकांक्षी जिलों के अंतर्गत पहचान किए गए संभावित जिलों में 38 रेशम उत्पादन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य अनिवार्य अवसंरचना का निर्माण करके और मूल्य श्रृंखला में रेशम कीट रियरिंग और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन को सक्षम वाणिज्यिक क्रियाकलाप के रूप में स्थापित करना है।

रेशम का उत्पादन और रेशम का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय:

i. बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन : बाइवोल्टाइन रेशम भारत में आयात विकल्प के रूप में उत्पादित रेशम एक उच्च गुणवत्ता वाला मलबरी रेशम है। देश में उच्च गुणवत्ता वाली बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन करने के लिए उत्पादनशील बाइवोल्टाइन हाइब्रिड और प्रक्रियाओं के पैकेज विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास पर बल दिया जा रहा है।

ii. बेहतर मलबरी/होस्ट प्लांट की किस्मों, रेशमकीट संकरों और प्रौद्योगिकी पैकेजों को विकसित करने के लिए कोकून उत्पादन और उत्पादकता के स्तर में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास प्रणाली को मजबूत बनाना।

iii. अच्छी गुणवत्ता वाले बाइवोल्टाइन रेशम कीट बीज का उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति करने के लिए कोल्ड स्टोर की सुविधाओं और बाइवोल्टाइन भंडारण को सुदृढ़ बनाया गया है।

iv. बाइवोल्टाइन कोकून से 3ए-4ए ग्रेड वाली कच्ची रेशम का उत्पादन करने के लिए देश में स्वचालित रीलिंग मशीनों (एआरएम)/इकाइयों की स्थापना की गई हैं।

v. केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकारें स्टेक होल्डर के स्तर पर अपेक्षित अवसंरचना का निर्माण करने के लिए भारत सरकार के अन्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आदि जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर विलयन के माध्यम से रेशम उत्पादन विकास के लिए अतिरिक्त निधियां जुटाती हैं।

vi. स्वदेशी रेशम विविंग मार्केट के क्षेत्र को अपेक्षाकृत मजबूत बनाने और भारतीय रेशम निर्यात क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कच्ची रेशम और रेशम फैब्रिक निर्यात पर क्रमश: 10% और 20% का मूल सीमा शुल्क लगाया जाता है।

vii. सिल्क मिश्रण पर बल देकर तथा निर्यात बाजार में वान्या सिल्क उद्योग को लोकप्रिय बनाकर उत्पाद विकास एवं विविधीकरण पर जोर दिया जाता है।

viii. व्यापक संवर्धन के माध्यम से विश्व बाजार में ब्रांड के रूप में 'भारतीय रेशम' को स्थापित करने और संवर्धित करने तथा भारतीय रेशम के ब्रांड का निर्माण करने के लिए 'सिल्क मार्क टैग' के साथ भारतीय रेशम को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

*****

(Q. 384)

श्री नारणभाई काछड़िया: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हमारा देश आज वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वस्त्रों का निर्यात विदेशों में कर रहा है। लेकिन हमारे गुजरात राज्य का सूरत शहर जो देश का एक केन्द्र माना जाता है, जहां पर वस्त्र से संबंधित हजारों छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हैं। वहां वस्त्र निर्माण के लिए लेटेस्ट तकनीकी का इस्तेमाल करके कम से कम लागत में अच्छे गुणवत्ता वाले कपड़ों का निर्माण होता है।

अध्यक्ष जी, आज हमारा राजस्व टेक्सटाइल क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है, फिर भी रेशम का उत्पादन गुजरात में नहीं हो रहा है। देश के कुल 26 राज्यों में रेशम का उत्पादन हो रहा है। लेकिन हमारे गुजरात में इसका उत्पादन बिल्कुल शून्य है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे गुजरात के वातावरण की अनुकूलता न होने के कारण या तो रेशम का उत्पादन नहीं हो रहा है, या किसानों में रेशम कीट पालन के व्यवसाय की जानकारी का अभाव होने के कारण इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा है, तो क्या सरकार द्वारा रेशम कीट पालन व्यवसाय को गुजरात में बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई गई है? अगर बनाई गई है, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि भारत सरकार सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से 2017 से लेकर 2020 तक के कार्यकाल में एक विशेष सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 'सिल्क समग्र' नाम की लगभग 2,160 करोड़ राशि की एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसमें प्री कोकून और पोस्ट कोकून सिल्क के उत्पादन के संदर्भ में हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, माननीय सांसद जानना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार के साथ मिलकर समन्वय के साथ विशेषकर हम किसानों के लिए कोई कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम

से उन्हें अवगत कराना चाहती हूं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं मनरेगा के अंतर्गत कन्वर्जन्स प्रोगाम्स के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिए हमने राज्यों को लगभग 600 करोड़ रुपये के प्रपोजल्स सैंक्शन कर दिए हैं, जिसमें से हमने 400 करोड़ रुपये देश भर के जिन-जिन राज्यों ने हमसे विशेष रूप से कृषि की दृष्टि से सिल्क प्रोडक्शन में मदद मांगी है, हमने उनको 400 करोड़ रुपये तक की मंदद पहुंचाई है।

अभी वर्तमान में नवसारी में एक डिफंक्ट सिल्क फार्म है, जिसे रिवाइव करने का प्रयास सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड कर रही है और उसकी बातचीत गुजरात सरकार से चल रही है।

श्री नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा सवाल यह है कि रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'सिल्क समग्र' योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत देश में रेशम कीट पालन व्यवसाय के प्रचार-प्रसार के लिए पिछले दो वर्षों में कौन-कौन से कार्य किए गए हैं तथा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने पिछले दो सालों में कितनी धनराशि खर्च की है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, सिल्क समग्र का विशेष संदर्भ रोजगार को और बढ़ाना है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि अगर आप मात्र रोजगार देखेंगे, तो वर्ष 2013-14 में हमारे देश के लगभग 78.5 लाख नागरिक सिल्क सेक्टर में कार्यरत थे। सिल्क समग्र का लक्ष्य यह है कि हम एक करोड़ लोगों को वर्ष 2020 तक नौकरी देंगे। मुझे आपके माध्यम से सदन को यह बताने में हर्ष हो रहा है कि रोजगार के कल तक के आंकड़े 91 लाख तक पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के आदेशानुसार जो एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है, हम उसे निश्चित रूप से पा पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारे कई ऐसे मेंबर होंगे, देश भर के करीबन 26 राज्यों में सिल्क के उत्पादन में अलग-अलग गतिविधियां चलती हैं। मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि वर्ष 2013-14 में मल्बरी में दो लाख हेक्टेयर एरिया था। अगर आज आप देखेंगे, तो 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रॉ सिल्क प्रोडक्शन में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ताकि भारत स्वनिर्भर हो सके, उसमें 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वन्य सिल्क प्रोडक्शन में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं इतना बता देना चाहती हूं कि वर्तमान में किसान नर्सरीज़ 111 हैं, इरिगेशन और अदर वाटर कन्जर्वेशन टेक्नीक के प्रोजेक्ट्स 3,038 हैं।

हमारे कृषकों के लिए जो सेपरेट रियरिंग हाउसेस 3819 हैं, रियरिंग अप्लायंसेस 3640 से ज़्यादा हैं, प्रोडक्टशन यूनिट जहाँ पर बायलॉजिकल इनपुट्स 32 हैं, चॉकी रियरिंग सेंटर्स इत्यादि की हमारे पास सारी जानकारी है, जो मैं आदरणीय सांसद को बता सकती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री परबतभाई पटेल । डिटेल्स में जानकारी देनी हो तो कई बार व्यक्तिगत भी भिजवा दें ताकि हम अधिकतर क्वेश्चन सदन में ले सकें।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में देश में रेशम कीट पालन को बढ़ावा देना एक प्रशंसनीय कदम है, जिसके तहत देश के ग्रामीण इलाकों में कृषि के साथ-साथ किसान भाइयों के लिए आमदनी का एक और नया ज़रिया बन गया है। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सिल्क उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बन रहे हैं। महोदय, इससे हमें किसान भाइयों की आय को बढ़ाने में भी काफी मदद मिल रही है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार रेशम कीट पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एवं किसानों को लेटेस्ट तकनीकी

प्रशिक्षण हेतु दूसरे देशों से तकनीकी सहायता ले रही है या लेने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, सांसद ने विशेष किसानों के संदर्भ में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। मैं उनको बताना चाहूँगी कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सिल्क समग्र के अंतर्गत विशेष महिला किसानों पर भी ध्यान देने का एक आग्रह रहा है। उन्हें यह जानते हुए खुशी होगी कि 680 इनफोर्मल प्रोड्यूसर ग्रुप के माध्यम से 33000 से ज़्यादा किसान मोबिलाइज़ हुए हैं। हमने विशेष उन किसानों और महिला किसानों को 23 डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष रूप से सहयोग दिया है, जो लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट इलाकों से प्रभावित हैं, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में विशेष महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत हम लोग सिल्क का काम बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के संदर्भ में आदरणीय सांसद ने एक प्रश्न पूछा, चाइना, उज़्बेकिस्तान के साथ-साथ सेंट्रल सिक्क बोर्ड, भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के समन्वय से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और किसानों के संदर्भ में हम लोग विशेष किसान मेला लगा कर, किसानों के लिए वर्कशॉप लगाकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी काम करते हैं।

DR. G. RANJITH REDDY: Sericulture is very important as it covers small and marginal farmers. In Telangana, we have two Technical Service Centres, one at Vikarabad and one at Chevella which is my parliamentary constituency. In my State, there are Government seed farms also in Qutubullapur, Moinabad, Peddemul and Maheshwaram which fall under my parliamentary constituency.

Apart from this, the Chairman of the Silk Board has said that Telangana is the best suitable State for silk farming. You also know that the State of

Telangana gives a lot of incentives for agriculture. Through you, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether she can propose to come up with a unit of Central Silk Board in Ranga Reddy District of Telangana.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: The Central Silk Board is a single unitary Board which services the entire country. If there is any proposal made from the State of Telangana, specially for helping farmers with regard to silk production, we will be more than happy to exend our services to them. I would like to tell the hon. Member through you that the Central Silk Board works with various States to do workshops. I will be more than happy to facilitate the State of Telangana in this regard.

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 385, श्री थोल तिरुमावलवन।

माननीय सदस्य, एक बार फिर व्यवस्था समझ लीजिए। इसमें कोई बात नहीं है, सब नए हैं। जब मैं माननीय सदस्यों का क्वेश्चन नम्बर पुकारूँ तो आप सभी माननीय सदस्य पहले क्वेश्चन नम्बर बोलें। फिर माननीय मंत्री जी उत्तर सभा पटल पर रखेंगे। फिर आप प्रश्न पूछिए। सदन की व्यवस्था इस तरह से है।

माननीय सदस्य बहुत ही गंभीर और पकड़ वाले हैं। माननीय सदस्य पूछिए।

कार्यवाही-सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पहली बैठक

(23.11.2022)

समिति की बैठक 1100 बजे से 1230 बजे तक समिति कमरा सं 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

1. श्री निहाल चन्द चौहान
2. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
3. श्री कौशलेन्द्र कुमार
4. श्री खगेन मुर्मु
5. प्रो. सौगत राय
6. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. (श्रीमती) सागरिका दास	-	निदेशक
3. श्री एम.सी.गुप्ता	-	उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेवा	-	अवर सचिव

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के कामकाज, लंबित आश्वासनों की स्थिति और समिति के भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में ज्ञापन संख्या 1 पर विचार करने (ii) 25 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 20 ज्ञापनों पर विचार करने; और (iii) लंबित आश्वासनों के संबंध में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है।

2. तत्पश्चात, समिति ने 25 आश्वासनों वाले उक्त 20 ज्ञापनों (ज्ञापन संख्या 2 से 21 तक) से संबंधित आश्वासनों को छोड़ने या न छोड़ने हेतु विचारार्थ लिया। संक्षिप्त विचार-विमर्श करने के पश्चात समिति ने माननीय सभापति को आश्वासनों को छोड़ने हेतु शेष ज्ञापनों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया। तत्पश्चात, सभापति ने निर्णय लिया कि अनुबंध-एक' में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 19 आश्वासनों को छोड़ दिया जाए तथा अनुबंध-दो में दिए गए ब्यौरे के अनुसार शेष 06 आश्वासनों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासनों को पूरा करने हेतु कार्रवाई की जाए।

3.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
4.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
5.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
6.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
7.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
6.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
7.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
8.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
9.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

अनुबन्ध-दो

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023)

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (**2022-2023**) की दिनांक **23.11.2022** को आयोजित बैठक में छोड़े नहीं गए आश्वासनों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	ज्ञापन सं.	ता.प्र./अता.प्र.सं. और दिनांक	मंत्रालय/ विभाग	विषय	टिप्पणी
1.	3	अता.प्र.सं. 3690 दिनांक 08.12.2016	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	कंटेनर कारोबार	समिति नोट करती है कि आश्वासन में **2** भाग है यथा विझिंजम पोत पत्तन का विकास और तमिलनाडु के एनायम में नए प्रमुख पोत पत्तन । यह उल्लेख करते हुए कि विझिंजम पोत पत्तन के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग **18** कार्य महीनों की आवश्यकता है और एनायम के लिए एक वैकल्पिक स्थल की पहचान की गई है, मंत्रालय ने समिति से आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है। मंत्रालय का यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि विझिंजम पोत पत्तन पर कार्य पूरा होने में पहले ही **6** वर्ष से अधिक का अत्यधिक विलंब हो चुका है। इसके अलावा, यद्यपि एनायम के संबंध में वीओ चिदंबरनार पोत पत्तन पर एक वैकल्पिक स्थल की पहचान की गई है, तथापि मंत्रालय द्वारा इसके विकास अथवा स्थापना का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है। समिति का मानना है कि ग्लोबल कंटेनर बिजनेस में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन दोनों बंदरगाहों का विकास और स्थापना अनिवार्य है क्योंकि बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अवसंरचनात्मक परियोजनाएं एक पूर्व आवश्यकता है। इसके

					अलावा, एक बार आश्वासन दिए जाने के बाद यह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह इसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएं। समिति यह समझती है कि ऐसे मामलों में समय लगता है लेकिन मंत्रालय को इस मामले को उचित प्रकार से और यथाशीघ्र पूरा करने के लिए तत्परता के साथ समुचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अतः, समिति चाहती है कि मंत्रालय को इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और आश्वासन को पूरा करना चाहिए।
2.	4	अता.प्र.सं. 2893 दिनांक 05.08.2021	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	राष्ट्रीय पोर्ट ग्रिड	मंत्रालय ने बताया है कि प्राचीन भारतीय पत्तन अधिनियम का निरसन करने और इसे समकालीन, आधुनिक और गतिशील कानून से प्रतिस्थापित करने के मामले पर विचार-विमर्श करने के पश्चात मंत्रालय भारतीय पत्तन अधिनियम, **1908** का निरसन करने जा रहा है और नए भारतीय पत्तन अधिनियम - **2022** पर कार्य कर रहा है। अतः, समिति पाती है कि मंत्रालय ने इस मामले पर निर्णय लिया है और आश्वासन को पूरा कर दिया है। समिति चाहती है कि अपेक्षित कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाए।
3.	8	अता.प्र.सं. 1106 दिनांक 18.09.2020	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	मालाबार वन्यजीव अभयारण्य	मंत्रालय ने इस आधार पर आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है कि मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की प्रारूप अधिसूचना **31.07.2022** को समाप्त हो गई है और इसलिए उक्त अधिसूचना पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय को मालाबार अभयारण्य

					के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की शिकायतों से निपटने के लिए स्वयं पहल करनी चाहिए थी और पिछली अधिसूचना पर प्राप्त सभी शिकायतों/टिप्पणियों पर विचार करने और अध्ययन करने के बाद नई अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। तथापि, मंत्रालय अंतिम अधिसूचना के मुद्दे पर मौन है। समिति चाहती है कि मंत्रालय मालाबार वन्यजीव अभयारण्य के आसपास मानव बस्तियों के लिए शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने और जंगली जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करे और आश्वासन को यथाशीघ्र पूरा करे।
4.	10	अता.प्र.सं. 3482 दिनांक 15.07.2019	वित्त (आर्थिक मामलों के विभाग)	आईएमए ज्वेलरी मामला	समिति ने नोट किया कि आश्वासन से संबंधित मामला गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंप दिया गया है। एसएफआईओ ने सूचित किया है कि दस्तावेज/डिजिटल रिकार्ड प्राप्त करने के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रिय रूप से सहायता की जा रही है और आगे आवश्यक जांच प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय ने यह कहते हुए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है कि अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से एसएफआईओ द्वारा उक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर आगे का विश्लेषण/जांच की जाएगी। समिति का विचार है कि आश्वासन को केवल इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि मामले की जांच विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जा रही है और इसके पूरा होने में लगने वाला समय निश्चित नहीं है। इसके अलावा यह मामला संवेदनशील है और इसलिए

					मामले को तार्किक निष्कर्ष तक लाने से पहले आश्वासन को छोड़ा नहीं जा सकता है। मंत्रालय को ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ मामले का ब्यौरा, एसएफआईओ जांच के परिणाम और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसलिए समिति चाहती है कि इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
5.	18	ता.प्र.सं. 81 दिनांक 08.02.2017 (श्री निनोंग ईरिंग, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	संचार (दूरसंचार विभाग)	डिजिटल लेनदेन	समिति इस आधार पर दिए गए आश्वासन को छोड़ने के मंत्रालय के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती है कि चूंकि भारत नेट परियोजना का दायरा सभी आबाद गांवों तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए परियोजना को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। समिति महसूस करती है कि मंत्रालय का तर्क अमान्य है क्योंकि किसी आश्वासन को केवल इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि इसके कार्यान्वयन में अधिक समय लग सकता है। चूंकि सरकार की महत्वाकांक्षी भारत नेट परियोजना का दूसरा चरण निर्धारित समय से काफी पीछे चल रहा है, इसलिए समिति का विचार है कि यह राष्ट्रीय चिंता का मामला है और यह जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए। _समिति चाहती है कि मंत्रालय इस मामले को सक्रियता से आगे बढ़ाए और आश्वासन को पूरा करने में तेजी लाए।

6.	20	ता.प्र.सं. 384 दिनांक 19.07.2019 (श्री नारणभाई काछड़िया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	वस्त्र	रेशम उत्पादन की स्थिति	समिति महसूस करती है कि कुल मिलाकर आश्वासन को पूरा कर दिया गया है। समिति चाहती है कि अपेक्षित कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए जिस में गुजरात विशेषकर नवसारी में रेशम उत्पादन व्यवसाय को समर्थन/बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा हो।

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

चौथी बैठक

(07.02.2023)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1530 बजे तक कमरा संख्या 216 (सभापति कक्ष), 'बी' ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चंद चौहान
3. श्री खगेन मुर्मु
4. श्री अशोक महादेवराव नेते
5. श्री संतोष पान्डेय
6. श्री श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1.	श्री जे.एम. बैसाख	- संयुक्त सचिव
2.	डॉ. (श्रीमती) सागरिका दास	- निदेशक
3.	श्री महेश चन्द गुप्ता	- उप सचिव
4.	श्रीमती विनीता सचदेव	- अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हे उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित चार (04) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हे बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया:-

(एक) 'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप उनासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(दो) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप अस्सीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(तीन) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)' विषय से संबंधित प्रारूप इक्यासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा); और

(चार) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप बयासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

2. समिति ने माननीय सभापति को चालू सत्र के दौरान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।